DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

दैनिक जागरण
नई दिल्ली, 11 अक्टूबर, 2022

NAME OF NEWSPAPERS

उपराज्यपाल ने लांच किया एलएमआइएस पोर्टल

डीडीए की जमीन का प्रबंधन व संरक्षण होगा इससे आसान, कोर्ट केसों को प्रभावी रूप से निपटाने में भी मिलेगी मदद

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली: डीडीए की जमीन का प्रबंधन व संरक्षण अब आसान होगा। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सोमवार को भूमि प्रबंधन सूचना प्रणाली (एलएमआइएस) पोर्टल का उद्घाटन किया। इसका मकसद भूमि के रिकार्ड का डिजिटल रखरखाव और कुशल प्रबंधन व संरक्षण करना है।

डीडीए के इस पोर्टल की मदद से रक्षा मंत्रालय द्वारा संबंधित जमीनों के बारे में प्राप्त तमाम आवेदनों को भी डिजिटल किया जाएगा। साथ ही आर्काइव में रखे दस्तावेजों और संबंधित आंकड़ों को भी डिजिटल रूप दिया जाएगा। यह पोर्टल 11 माड्यूलों जैसे भूमि सूची, अतिक्रमण का पता लगाना और डेमोलिशन माड्यूल, डैमेज पेयी माड्यूल आदि के माध्यम से सिंगल विंडो पर डीडीए के भूमि प्रबंधन विभाग के विभिन्न कार्यात्मक कार्यक्षेत्रों के कार्यों की सुविधा प्रदान करने में सहायक होगा।

इस मौके पर उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने भूमि अभिलेखों के पूर्ण डिजिटलीकरण की आवश्यकता पर जोर दिया और इस संबंध में जीरो ह्यूमन इंटरफेस और हस्तक्षेप को जल्द से जल्द सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। नागरिक केंद्रित दृष्टिकोण के रूप में, एलएमआइएस में निवासियों द्वारा आनलाइन स्व-पंजीकरण और क्षति प्रभार का मूल्यांकन तथा आनलाइन क्षति प्रभार संग्रहण सुनिश्चित किया जाएगा।

। नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । मंगलवार, 11 अक्टूबर 2022

डीडीए का LMIS पोर्टल लॉन्च

■ **विस, नई दिल्ली :** उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सोमवार को एलएमआईएस (लैंड मैनेजमेंट इंफर्मेशन सिस्टम) पोर्टल को लॉन्च किया। इसके जरिए लैंड रिकॉर्ड को डिजिटल मेंटेन किया जा सकेगा। साथ ही इनकी सेफ्टी भी रहेगी। इस पोर्टल से डीडीए के लैंड मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में होने वाले सभी काम एक ही जगह हो सकेंगे।

यह 11 मॉड्यूल के लिए सिंगर प्लैटफॉर्म होगा। इसमें लैंड इन्वेंटरी, अतिक्रमण का पता लगाना, तोड़फोड़ मॉड्यूल, डैमेज पे मॉड्यूल आदि शामिल हैं। इस मौके पर एलजी ने कहा कि अब लैंड रिकॉर्ड को पूरी तरह डिजिटलाइज करने की जरूरत है। यह काम जितनी जल्दी हो उतना अच्छा है। उन्होंने बताया कि इस पोर्टल के जरिए लोग भी अपना ऑनलाइन सेल्फ रजिस्ट्रेशन, डैमेज चार्ज को निकालने और डैमेज चार्ज को ऑनलाइन जमा करवा सकेंगे। इसके जरिए लैंड मैनेजमेंट के कई काम आसानी से हो सकेंगे।

THE TIMES OF INDIA, NEW DELHI
TUESDAY, OCTOBER 11, 2022

LG launches land mgmt portal for DDA

New Delhi: Lieutenant governor V K Saxena on Monday launched a web portal, Land Management Information System, for digital maintenance of land records related to Delhi Development Authority.

Officials said the system would help in efficient management and protection of DDA's land and properties. The portal will bring on a single platform all functions through 11 modules such as land inventory, encroachment detection and demolition, land acquisition records, and court cases, DDA stated. Information from all sectors will be updated on the portal, it added.

Saxena instructed DDA to ensure zero human intervention at the earliest. LMIS will standardise all processes and make the system digitised, leading to more efficiency, he added. "As a citizen-centric approach, LMIS will ensure online self-registration and assessment of damage charges by occupants and online damage collection," said an official. TNN

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

आ गई साड्डी दिल्ली दी मौज...

नाइटलाइफ रात बाकी है... तैयारी भी बाकी है

दिल्ली में नाइट लाइफ को बढ़ावा देने की चर्चा कई सालों से चल रही है। इसके लिए कई बार लुभावने प्लान भी बने, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं बदला। अब एलजी ने 300 से ज्यादा प्रतिष्ठानों को 24x7 ऑपरेट करने की अनुमति देकर दिल्ली के व्यापारियों के बीच एक नई उम्मीद जगाई है। हालांकि, आम लोगों को इसका फायदा तभी मिलेगा, जब लोग रात में भी बेखौफ होकर खाने-पीने, घूमने या कोई सामान खरीदने के लिए बाहर निकल सकेंगे। इसके लिए कई स्तरों पर सुधार करने की जरूरत है। टीम एनबीटी ने इसके विभिन्न पहलुओं की पड़ताल की :

NBT बिग पिक्चर

कस्टमर्स से लेकर कर्मचारियों की सुरक्षा और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का करना होगा इंतजाम

■ एलजी वी.के. सक्सेना ने दिल्ली की नाइट लाइफ को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ी पहल करते हुए आवेदन करने वाले 300 से अधिक प्रतिष्ठानों को 24 घंटे अपना व्यवसाय चलाने की मंजूरी दी है। इनमें कुछ रेस्तरां, दवा की दुकानें और लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन से जुड़े व्यवसाय शामिल हैं। पिछले साल जारी हुए राजधानी के ड्राफ्ट मास्टर प्लान-2041 में भी नाइट लाइफ का यह कॉन्सेप्ट पहली बार लाया गया था। माना जा रहा है कि उसी को लागू करवाने की दिशा में एलजी ने यह पहला कदम बढ़ाया है। हालांकि, एक्सपर्ट का मानना है कि दिल्ली में रात की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए केवल इतने भर से काम नहीं चलेगा, बल्कि कुछ और मोर्चों पर भी काम करने की जरूरत पड़ेगी। खासकर रात में आने वाले कस्टमर्स और काम करने वाले कर्मचारियों की सुरक्षा, उनके लिए परिवहन के साधनों का इंतजाम और सड़कों पर पर्याप्त लाइटिंग की व्यवस्था भी करनी होगी।

लंदन, पैरिस, न्यूयॉर्क की तरह लुत्फ उठा सकेंगे लोग!

ड्राफ्ट मास्टर प्लान-2041 को लेकर डीडीए ने कहा है कि अगले साल अप्रैल तक यह फाइनल हो जाएगा। इसमें भी राजधानी में नाइट कल्चर को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। ड्राफ्ट मास्टर प्लान-2041 में सांस्कृतिक परिसर, हैरिटेज एरिया, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में नाइट लाइफ सर्किट बनाने की बात कही गई है। इसमें कहा गया है कि रेस्तरां व अन्य कमर्शल गतिविधियां राजधानी में 24 घंटे जारी रह सकेंगी और दिल्ली में भी लंदन, पैरिस, न्यूयॉर्क की तरह सड़कों पर लोग नाइट लाइफ का लुत्फ उठा सकेंगे। एक्सपर्ट्स का कहना है कि पेंडिंग प्रस्तावों को एलजी के द्वारा मंजूरी देना और ड्राफ्ट मास्टर प्लान में नाइट लाइफ को शामिल करना अच्छा कदम है, लेकिन इसे लागू करने की एक खास प्लानिंग करनी होगी। मसलन, नाइट लाइफ को सफल बनाने के लिए अच्छा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम सबसे अधिक जरूरी है। लंदन, न्यूयॉर्क जैसे शहरों में नाइट लाइफ इसी वजह से सफल है। यहां 24 घंटे पब्लिक ट्रांसपोर्ट उपलब्ध रहता है। वहीं दिल्ली की बात करें, तो यहां ज्यादातर कॉरिडोर पर रात को 11 या 11.30 बजे के बाद मेट्रो सर्विस उपलब्ध नहीं है। बसें भी रात को आठ-नौ बजे के बाद काफी कम हो जाती हैं। ऑटो भी सीमित संख्या में चलते हैं।

पब्लिक रात में सेफ महसूस नहीं करेगी, तब तक बाहर नहीं निकलेगी

सीएसई (सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट) की एग्जिक्यूटिव डायरेक्टर अनुमिता राय चौधरी का कहना है कि दिल्ली में नाइट लाइफ को बढ़ावा देने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर सबसे अधिक काम करने की जरूरत है। नाइट लाइफ के लिए अच्छा और भरोसेमंद पब्लिक ट्रांसपोर्ट सबसे अहम है। जब तक पब्लिक रात में खुद को सेफ महसूस नहीं करेगी, तब तक लोग बाहर नहीं निकलेंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ, तो नाइट लाइफ का हिस्सा सिर्फ वही लोग बन पाएंगे, जिनके पास निजी गाड़ियां होंगी। इससे नाइट इकॉनमी बढ़ाने के सपने को साकार करने में भी रुकावट पैदा होगी।

'एक्टिव नाइट लाइफ की तरफ कदम बढ़ाने की सख्त जरूरत है'

नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स के डायरेक्टर हितेश वैद्य ने बताया दिल्ली जैसे शहरों को अपनी इकॉनमी को सुधारने और बढ़ाने के लिए एक्टिव नाइट लाइफ की तरफ कदम बढ़ाने की सख्त जरूरत है। दिल्ली में इसके लिए काफी क्षमता भी मौजूद है। यहां पर रात के समय कई तरह की गतिविधियां संचालित हो सकती हैं। इनमें सांस्कृतिक, औद्योगिक, लॉजिस्टिक आदि से जुड़ी गतिविधियां प्रमुख हैं। इसका लाभ यह भी होगा कि राजधानी खुद को बेहतर तरीके से प्लान कर सकेगी और काम की शिफ्टें भी ज्यादा व्यवस्थित तरीके से बनाई जा सकेंगी। इससे सड़कों पर भी जाम कम होगा, क्योंकि रश अलग-अलग समय पर बंट जाएगा। एक्सपर्ट्स के अनुसार, नाइट लाइफ में महिलाओं की भूमिका भी बेहद अहम है और महिलाएं तभी बाहर निकलेंगी, जब वे खुद को सुरक्षित महसूस करेंगी। इसके अलावा नाइट लाइफ में स्ट्रीट वेंडरों को भी शामिल किया जाना बेहद जरूरी है। दिल्ली की नाइट इकॉनमी में केवल महंगी गतिविधियां ही शामिल ना हों, बल्कि समाज का हर वर्ग उसका हिस्सा बन सके, इसको ध्यान में रखकर प्लानिंग करनी होगी।

iStock

NBT नजरिया

नाइट लाइफ के हिसाब से पूरी दिल्ली को खोलना व्यवहारिक नहीं होगा। कुछ खास जोन और कुछ खास सुविधाएं ही इसके लिए उपयुक्त होंगी। दुनिया के सबसे विकसित शहरों में भी ज्यादातर लोग रात में सोते ही हैं। इमरजेंसी सर्विसेज, एंटरटेनमेंट जोन और फूड प्लाजा आदि ही ऐसे सेक्टर हैं, जिन्हें रात के लिए खोलना अच्छा होगा। बशर्ते, उसके मुताबिक सुरक्षा व्यवस्था, ट्रांसपोर्ट सेवा और बेहतर स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था हो।

दिल्ली की खबरों के लिए टेलीग्राम पर फॉलो करें
t.me/nbtdilli

कारोबारी खुश! कहा, नाइट शॉपिंग से कारोबार में 30% इजाफा हो सकता है

मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद की तरह दिल्ली में भी कुछ दुकान 24 घंटे खोलने की छूट मिलने से दिल्ली के व्यापारी बेहद खुश हैं। व्यापारियों का कहना है कि इससे कारोबार में करीब 30 प्रतिशत का उछाल आएगा। जो लोग व्यस्तता के कारण मुश्किल से कभी शॉपिंग के लिए निकलते थे, उनके लिए जिंदगी और आसान हो जाएगी। लेकिन, नाइट कल्चर की अपनी एक चुनौती है और उन चुनौतियों से निपटे बिना ऐसा कल्चर सफल होना मुश्किल है।

द कंफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (सीएआईटी) के जनरल सेक्रेटरी प्रवीण खंडेलवाल के अनुसार, पांच कैटिगरी के व्यवसायों को 24 घंटे चलाने की अनुमति एलजी ने दी है। जिसमें होटल्स, रेस्टोरेंट, टूर एंड ट्रैवल्स, ट्रांसपोर्टेशन और फार्मेसी हैं। इससे दिल्ली के कारोबार में करीब 30 प्रतिशत का इजाफा होगा। लेकिन, इस कैटिगरी में कुछ और व्यवसायों को शामिल किया जाना चाहिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इस तरह के कल्चर का फायदा हो। इसमें किराना शॉप, ब्रेड, बटर व मिल्क बूथ और रोजमर्रा के सामान बेचने वालों को भी मिलनी चाहिए। ताकि जिसे जब जरूरत हो, उसे उसकी जरूरत का सामान उपलब्ध हो जाए। सीटीआई चेयरमैन बृजेश गोयल के अनुसार, एलजी का यह अच्छा फैसला है। इससे कारोबार काफी बूस्ट होगा। जो लोग अपने परिवार के साथ किसी रेस्टोरेंट या होटल्स में खाना खाने जा रहे हैं, उन्हें इस काम के साथ शॉपिंग का भी विकल्प उपलब्ध होगा। नाइट कल्चर का सबसे अधिक फायदा रिटेल मार्केट के दुकानदारों को होगा। होलसेल मार्केट पर इसका कोई खास असर नहीं पड़ने वाला।

चांदनी चौक सर्व व्यापार मंडल के प्रेजिडेंट संजय भार्गव का कहना है कि इससे निश्चय ही लोगों को लाभ मिलेगा। लोगों को शॉपिंग करने का एक लंबा अवसर प्राप्त होगा।

ड्राफ्ट मास्टर प्लान-2041 में नाइट लाइफ

- ऐसी जगहों की पहचान करना, जहां सांस्कृतिक परिसर, ऐतिहासिक धरोहरें आदि हों। उन्हें नाइट लाइफ सर्किट के तौर पर विकसित किया जाए।
- एमसीडी, टूरिज्म डिपार्टमेंट और अन्य एजेंसियां मिलकर ऐसे नाइट लाइफ सर्किट की पहचान करें और वहां पर होटल, रेस्तरां, सामाजिक-सांस्कृतिक गतिविधियां, मनोरंजन, खेल, रीटेल स्टोर खुलवाने या उनकी टाइमिंग बढ़ाने पर काम करें।
- संबंधित विभाग इन नाइट लाइफ सर्किट की पहचान करने के साथ ही उन पर रोशनी के पर्याप्त इंतजाम करें। साथ ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट और सुरक्षा के लिए भी प्लान करें। रात के समय इन जगहों पर आने-जाने के लिए स्पेशल मेट्रो लाइन और बस रूट को भी मंजूरी दी जा सकती है।
- चयनित नाइट लाइफ सर्किट के आस-पास होने वाले सभी नए निर्माण/रीडिवेलपमेंट को एक्टिव फ्रंटेज के लिए प्रमोट किया जाए। यह ऐसी जगह होगी, जहां सांस्कृतिक गतिविधियां आदि हो सकेंगी। इसके लिए कुछ इन्सेंटिव भी तय किया जा सकता है।
- संबंधित विभाग कलाकारों, कल्चरल ग्रुप्स, रेजिडेंट ग्रुप्स, यूथ ग्रुप्स, मार्केट और वेंडर असोसिएशन के साथ मिलकर काम करें। ऐसी जगहों पर वीकली मार्केट लगाए जा सकते हैं या सीजनल कल्चरल फेस्टिवल का आयोजन किया जा सकता है।

इन चुनौतियों का भी ध्यान रखना है

- आर्थिक लाभ की संभावनाओं के बीच विभागों के बीच आपसी तालमेल कायम करना होगा।
- सुरक्षा, कनेक्टिविटी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की उपलब्धता से जुड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए व्यापक योजना बनानी होगी।
- स्थानीय लोगों को इसमें शामिल करना भी एक बड़ी चुनौती है। प्रोजेक्ट तभी सफल होगा जब अधिक से अधिक लोग इसमें शामिल होंगे। इसके लिए कुछ नए हेल्पलाइन नंबर्स भी शुरू करने होंगे।

24x7 के लिए कोई भी कर सकता है आवेदन, बशर्ते...

दिल्ली में 300 से ज्यादा व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को चौबीसों घंटे ऑपरेट करने की छूट दिए जाने के बाद व्यापारी यह जानने को बेहद उत्सुक हैं कि आखिर यह छूट किन्हें और कैसे मिलेगी? क्या यह छूट कुछ विशेष लोगों या विशेष तरह के व्यवसायों के लिए ही है या कोई भी यह छूट ले सकता है? अगर यह प्रावधान पहले से था, तो अभी तक इसका लाभ लेने से व्यवसायियों को वंचित क्यों रखा गया? ऐसे तमाम सवाल व्यापारियों के जेहन में उठ रहे हैं। दिल्ली सरकार के श्रम विभाग के सूत्रों का कहना है कि इस मामले में कुछ बातें स्पष्ट होना बेहद जरूरी है। सबसे पहले तो एलजी ने जिन 314 प्रतिष्ठानों को चौबीस घंटे व्यवसाय चलाने की छूट दी है, उनके संचालकों ने इसके लिए बाकायदा श्रम विभाग के पास आवेदन किया हुआ था। उसी के बाद उन्हें यह छूट मिली है। यानी अगर किसी को यह छूट लेनी है, तो पहले उसे श्रम विभाग के पास इसके लिए आवेदन करना होगा। यह आवेदन ऑनलाइन तरीके से भी किया जा सकता है।

> **अगर किसी को यह छूट लेनी है, तो पहले उसे श्रम विभाग के पास इसके लिए आवेदन करना होगा**

दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन प्रतिष्ठानों को चौबीस घंटे व्यवसाय चलाने की अनुमति दी गई है, उसके लिए उन्हें दिल्ली शॉप्स एंड एस्टैबलिशमेंट एक्ट 1954 के सेक्शन 14, 15 और 16 के प्रावधानों से छूट दी गई है, ताकि ये प्रतिष्ठान युवा कर्मचारियों से रात के वक्त भी काम ले सकें, रात के समय भी अपने प्रतिष्ठान खुले रख सकें और वीकली ऑफ या हफ्ते में एक क्लोजिंग डे से भी उन्हें छूट मिल सके। सूत्रों का कहना है कि वैसे तो इस छूट का लाभ लेने के लिए कोई भी आवेदन कर सकता है, लेकिन 7 कैटिगरी के व्यवसायों को इसमें प्राथमिकता दी गई है। इसमें होटल व रेस्टोरेंट, ऑनलाइन डिलिवरी सर्विसेज, लॉजिस्टिक सर्विसेज, हेल्थ सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट सेवाएं, केपीओ और बीपीओ आदि शामिल हैं। एलजी ने भी जिन प्रतिष्ठानों को चौबीस घंटे ऑपरेट करने की छूट दी है, उनमें एमेजॉन जैसी ऑनलाइन शॉपिंग एंड डिलिवरी सर्विस और आईटीसी मौर्या, ललित और एक्सेलसर जैसे होटल भी शामिल हैं। इनके अलावा कुछ मेडिकल स्टोर्स, चश्मे की दुकानें, रीटेल गारमेंट स्टोर्स को यह छूट दी गई है।

सूत्रों का कहना है कि दिल्ली शॉप एंड एस्टैबलिशमेंट एक्ट के दायरे में आने वाले किसी भी व्यवसाय को चौबीस घंटे संचालित करने के लिए आवेदन करने पर यह छूट मिल सकती है। कंपनी या संस्थागत स्तर के अलावा निजी स्तर पर भी व्यवसायी यह छूट लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं। जिन्हें यह छूट दी जाएगी, उन्हें तय नियमों का पालन भी करना होगा। सूत्रों ने बताया कि दिल्ली में अभी तक केवल 269 प्रतिष्ठानों को यह छूट मिली हुई थी, मगर अब एलजी ने एक ही बार में 300 से ज्यादा प्रतिष्ठानों के पेंडिंग आवेदनों को एक साथ मंजूरी देकर एक बड़ी पहल की है।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS---------- DATE 11 अक्तूबर, 2022 ▶ मंगलवार

पंजाब केसरी

संक्षिप्त समाचार

एलजी ने शुरू किया एलएमआईएस पोर्टल

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी): दिल्ली के उपराज्यपाल व दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना ने सोमवार को वेब आधारित पोर्टल अर्थात् भूमि प्रबंधन सूचना प्रणाली (एलएमआईएस) का शुभारंभ किया है, जिसका उद्देश्य डीडीए के भूमि के रिकॉर्ड का डिजिटल रखरखाव करना और भूमि का प्रभावी और कुशल प्रबंधन एवं संरक्षण करना है। यह पोर्टल 11 मॉड्यूलों जैसे भूमि सूची, अतिक्रमण का पता लगाना और डेमोलिशन मॉड्यूल, डैमेज पेयी मॉड्यूल आदि के माध्यम से सिंगल प्लेटफॉर्म पर डीडीए के भूमि प्रबंधन विभाग के विभिन्न कार्यात्मक कार्यक्षेत्रों के कार्यों की सुविधा प्रदान करने में सहायक होगा। इस अवसर पर एलजी ने भूमि अभिलेखों के पूर्ण डिजिटलीकरण की आवश्यकता पर जोर दिया और इस संबंध में जीरो ह्यूमन इंटरफेस और हस्तक्षेप को जल्द से जल्द सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। नागरिक केंद्रित दृष्टिकोण के रूप में एलएमआईएस में निवासियों द्वारा ऑनलाइन स्व-पंजीकरण और क्षति प्रभार का मूल्यांकन तथा ऑनलाइन क्षति प्रभार संग्रहण सुनिश्चित किया जाएगा। यह सॉफ्टवेयर विभिन्न भूमि प्रबंधन विभाग कार्यों जैसे डीडीए के सभी भूखंडों की भूमि सूची (लैंड इनवेंटरी) बनाने, कोर्ट केसों के निपटान, नई भूमि अधिग्रहण के रिकॉर्ड, संबंधित भूमि दस्तावेज, फाइल डेटा लोडिंग (रिकॉर्ड कक्ष प्रबंधन) और जीआईएस. मॉड्यूल आदि के प्रभावी निपटान में भी सहायक होगा। एलएमआईएस सॉफ्टेवयर में भूमि प्रबंधन विभाग के कार्य में शामिल सभी प्रक्रियाओं को मानकीकृत किया जाएगा और इसे और अधिक प्रभावी बनाने के लिए इस पूरी प्रणाली का डिजिटल बनाया जाएगा।

अमर उजाला

पोर्टल लॉन्च, डिजिटल होगा डीडीए की भूमि का रिकॉर्ड

नई दिल्ली। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सोमवार को ऑनलाइन भूमि प्रबंधन सूचना प्रणाली (एलएमआईएस) की शुरुआत की है। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इस वेब आधारित पोर्टल का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य डीडीए की भूमि के रिकॉर्ड का डिजिटल रखरखाव, कुशल प्रबंधन व संरक्षण करना है। यह पोर्टल 11 मॉड्यूलों में भूमि सूची, अतिक्रमण का पता लगाना और इसके खिलाफ कार्रवाई, होने वाली क्षतिपूर्ति जैसी तमाम डीडीए से जुड़ी महत्वपूर्ण सूचनाओं को एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराएगा। इससे डीडीए के भूमि प्रबंधन विभाग को काम करने में आसानी होगी।

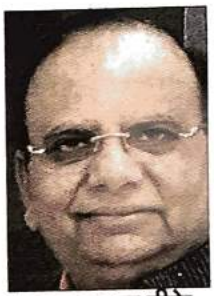

उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने किया शुभारंभ, पोर्टल में 11 मॉड्यूल से जुड़ीं सूचनाएं सिंगल प्लेटफार्म पर उपलब्ध होंगी

इस दौरान उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने डीडीए के भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में जीरो ह्यूमन इंटरफेस और हस्तक्षेप को जल्द से जल्द सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उन्होंने जानकारी दी कि एलएमआईएस के जरिए अब दिल्ली वासी खुद ही ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। क्षतिपूर्ति का मूल्यांकन कर इसके भुगतान का दावा कर सकते हैं। इस वेब पोर्टल के जरिए डीडीए की टीम भूमि प्रबंधन विभाग से जुड़े कार्यों जैसे कि भूमि सूची बनाने, कोर्ट केसों के निपटान, नई भूमि अधिग्रहण के रिकॉर्ड, संबंधित भूमि दस्तावेज का रिकॉर्ड को सुरक्षित रखेगी। ब्यूरो

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

THE HINDU Tuesday, October 11, 2022 DELHI
NAME OF NEWSPAPERS ----------DATED----------

'Draft Bill to boost land pooling to be sent to Centre soon'

Muneef Khan
NEW DELHI

No major objections from the public to the proposed amendments to Delhi Development Act, 1957, says official

No changes will be made in the proposed amendments to the Delhi Development Act, 1957, which include making land pooling mandatory, according to a senior official at the Ministry of Housing and Urban Affairs (MoHUA).

The official said the process of public consultation over the proposed amendments has been concluded. A Bill, with the amendments, has been drafted and will soon be sent to the Union Cabinet for approval, the official added.

The proposed amendments were made public between August 18 and September 18 for feedback. The senior MoHUA official said most of the feedback and comments received by the Ministry were "positive" in nature.

"There were no substantive objections from the public. Some were opposed to making land pooling mandatory. But you cannot execute land pooling without 100% of the land," said the official.

Stuck for years

Notified on two occasions – in 2013 and 2018 – the land pooling policy of the Delhi Development Authority (DDA) has been a non-starter, with the development works yet to take off due to eligibility criteria such as 70% of the pooled land must be contiguous and the minimum participation rate in an area earmarked for land pooling must be 70%.

The two proposed amendments, do away with these conditions by making land pooling mandatory in areas where minimum participation of 70% has been achieved; another amendment allows the Centre to declare pooling mandatory, even if the minimum thresholds of participation and contiguity are not met.

"Voluntary participation of landowners has not worked out till now and many of the landowners are reluctant to participate. So, the proposed amendments overcome these hurdles in the existing policy," said a senior DDA official.

millenniumpost
TUESDAY, 11 OCTOBER, 2022 | NEW DELHI

L-G launches new LMIS portal of DDA

OUR CORRESPONDENT

NEW DELHI: Delhi L-G VK Saxena launched a web-based portal viz. Land Management Information System (LMIS) aimed at digital maintenance of land records and effective as well as efficient management and protection of Delhi Development Authority (DDA) land on Monday.

The portal will allow easy access to various functional verticals of the Land Management Department of DDA on a single platform through 11 modules such as land inventory, encroachment detection and demolition module, damage payee module etc.

Saxena emphasised upon the need of complete digitization of land records and instructed the DDA to ensure zero human interface and intervention in this regard at the earliest.

As a citizen centric approach, the LMIS will ensure online self-registration & assessment of damage charges by occupants and online damage collection. The software will also be helpful in the effective disposal of various Land Management Department tasks such as maintenance of Land Inventory of all lands under DDA, management of court cases, new land acquisition records, related land documents, file data Loading (Record room management) and GIS module etc.

The LMIS software will standardise all the processes involved in the functioning of the Land Management Department and make the entire system digitised leading to more efficiency.